



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक: 3586

दिनांक - 18/08/09

स्वीकृति आदेश

राज्य में 1 मार्च, 2009 से बीपीएल महिला को प्रथम संस्थागत प्रसव पर 5 लीटर सरस देशी घी उपहार में देने की योजना लागू की गई है। जिलों में इस योजना में व्यय मेडिकल रिलीफ सोसायटी से किया जा रहा है। इस राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा बजट मद 2210-01-110-(03)-[01]-12-सहायता अनुदान (आयोजना) से परिवार कल्याण विभाग के पीडी खाता संख्या 105 में स्थानांतरित की गई राशि 60.00 लाख से किया जाना है। इस हेतु पीडी खाते से निम्नांकित ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समितियों को राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :

क्र.सं.	नाम समिति	राशि
1.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, अजमेर	69,300
2.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, अलवर	1,33,100
3.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, बांसवाड़ा	6,57,300
4.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, बारां	4,10,300
5.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, बाड़मेर	30,800
6.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, भरतपुर	25,300
7.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, भीलवाड़ा	1,33,100
8.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, बीकानेर	1,50,700
9.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, बूंदी	1,26,500
10.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, चित्तौड़गढ़	1,08,900
11.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, चुरु	1,69,400
12.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, दौसा	1,99,100
13.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, धौलपुर	47,300
14.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, डुंगरपुर	9,79,000
15.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, गंगानगर	2,36,500
16.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, हनुमानगढ़	1,15,500
17.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर प्रथम	79,200
18.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, जयपुर द्वितीय	69,300
19.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, जैसलमेर	4,400
20.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, जालौर	99,000
21.	ग्रामीण/जिला स्वास्थ्य समिति, झालावाड़	2,40,900

22.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, झुन्डुनू	37,400
23.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, जोधपुर	1,15,500
24.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, करौली	2,97,000
25.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, कोटा	1,73,800
26.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, नागौर	1,59,500
27.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, पाली	75,900
28.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, प्रतापगढ़	75,900
29.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, राजसमन्द	99,000
30.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, सीकर	49,500
31.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, सिरोही	42,900
32.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, सवाईमाधोपुर	1,52,900
33.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, टोंक	1,13,300
34.	ग्रामीण / जिला स्वास्थ्य समिति, उदयपुर	5,22,500
35.	कुल योग.	60,00,000 .

(अक्षरे साठ लाख रुपये मात्र)

६०

निदेशक (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, प०क० एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक प०क० को भेजकर लेख है कि उक्त राशि के डी.डी./बैंकर चैक बनवाकर संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, प०क०।

~~२०१९~~
निदेशक (प०क०) १९/१०
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्र. सं. / दिनांक / शपक / लेखा / बजट / बी पी एल / 2009 / 1786-1834 दिनांक :- 6-10-09

समस्त अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)
राजस्थान।

विषय बी.पी.एल. महिला को प्रथम संस्थागत प्रसव पर देशी घी उपहार में देने की योजना के लिए बजट का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत माह अगस्त 09 से मार्च 10 तक होने वाले बी०पी०एल प्रसवों के लिए निम्नांकित बजट मद से राशि का आवंटन किया जाता है :-

बजट मद

मांग संख्या 26

2211--परिवार कल्याण

105 - क्षतिपूर्ति

(03) जन संख्या नियन्त्रण हेतु उपाय

[07] प्रथम प्रसव पर BPL महिलाओं को सहायता

28 -- विविध व्यय

(आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) अजमेर	1.57
2	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)अलवर	3.03
3	अति०/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बांसवाड़ा	27.15
4	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बांरा	9.32
5	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बाडमेर	0.70
6	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)भरतपुर	2.48
7	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)भीलवाड़ा	3.02
8	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बीकानेर	3.43
9	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बूंदी	2.88
10	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)चित्तौड़गढ़	2.47
11	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)चुरू	3.85
12	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)दौसा	4.52
13	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)धौलपुर	1.08
14	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)डूंगरपुर	22.05
15	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)गंगानगर	5.38
16	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)हनुमानगढ़	2.62

17	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) जयपुर प्रथम	1.80
18	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) जयपुर द्वितीय	1.57
19	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)जैसलमेर	0.10
20	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)जालौर	2.25
21	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)झालावाड	5.48
22	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)झुन्झुनु	0.85
23	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)जोधपुर	2.63
24	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)करौली	6.75
25	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)कोटा	3.95
26	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)नागौर	3.62
27	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)पाली	1.72
28	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)प्रतापगढ़	1.73
29	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)राजसमंद	2.25
30	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)सीकर	1.12
31	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)सिरोही	0.98
32	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)सवाईमाधोपुर	3.48
33	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0) टोंक	2.57
34	अति0/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प0क0)उदयपुर	11.60
योग		150.00

(अक्षरे एक करोड़ पचास लाख रुपये मात्र)

सम्बन्धित मेडिकल रिलीफ सोसायटियों को उनसे प्राप्त विवरणों के आधार पर आप द्वारा उपरोक्त बजट मद से कोषालय के माध्यम से बिल पारित करवाकर राशि का आहरण कर पुर्नभरण कराया जाना सुनिश्चित करावें। यदि किसी स्थान पर पूर्व में सोसायटियों को भेजे गये डी.डी के अनुसार व्यय नहीं हुआ है तो पहले डी.डी की राशि तक व्यय किया जावे इसके पश्चात् ही कोषालय के माध्यम से बिल पारित कराकर मेडिकल रिलीफ सोसायटियों को राशि का पुर्नभरण किया जावे। कोषालय को भेजे जाने बिलों पर सही बजट मद का (उपरोक्तानुसार) अंकन करावें।

प्रत्येक माह व्यय की सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से भिजवायी जावें।

ए०

मुख्य लेखाधिकारी (प0क0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :

- परियोजना निदेशक, M.M.J.R.K मुख्यालय जयपुर को उनकी अनौ० टिप० संख्या 4259 दिनांक 25.9.09 के क्रम में।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी राजस्थान।

49/11
मुख्य लेखाधिकारी (प0क0)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - रापक / लेखा / बजट / बी.पी.एल / 2009 / 36/27-29

दिनांक - 18/3/10

समस्त अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)
राजस्थान।

विषय : बी.पी.एल. महिला को प्रथम संस्थागत प्रसव पर देशी घी उपहार में देने की योजना के लिए बजट का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत माह अगस्त 09 से मार्च 10 तक होने वाले वी०पी०एल प्रसवों के लिए निम्नांकित बजट मद से अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाता है :-

बजट मद

मांग संख्या 26

- 2211-परिवार कल्याण
105 - क्षतिपूर्ति
(03) जन संख्या नियन्त्रण हेतु उपाय
[07] प्रथम प्रसव पर BPL महिलाओं को सहायता
28 - विविध व्यय
(आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) उदयपुर	2.75
2	अति०/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बांसवाड़ा	6.35
3	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बीकानेर	0.15
4	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बाडमेर	1.15
5	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) अजमेर	1.15
6	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)अलवर	0.64
7	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)बूंदी	1.25
8	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) चूरू	2.25
9	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)धौलपुर	0.15
10	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) जैसलमेर	0.30
11	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) कोटा	0.50
12	अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) पाली	2.00
13	अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) टोंक	2.00
14	अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) भरतपुर	3.50
15	अति/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) सीकर	0.51
	योग	24.65


(अक्षरे रू० चौबीस लाख पैंसठहजार मात्र)

६८

मुख्य लेखाधिकारी (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :

- परियोजना निदेशक, M.M.J.R.K मुख्यालय जयपुर को उनकी अनौ० टिप० संख्या एफ.27(37)/एनआरएचएम/देशी घी/स्वीकृति/09 दिनांक 16.03.10 के क्रम में।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी राजस्थान।


मुख्य लेखाधिकारी (प०क०)

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- रापक/लेखा/बजट/बी.पी.एल/2009/3506

दिनांक :- 29/3/10

समस्त अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)
राजस्थान।

विषय : बी.पी.एल. महिला को प्रथम सस्थागत प्रसव पर देशी घी उपहार में देने की योजना के लिए बजट का आवंटन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में उक्त योजना के अन्तर्गत माह अगस्त 09 से मार्च 10 तक होने वाले वी०पी०एल प्रसवों के लिए निम्नांकित बजट मद से अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाता है :-

बजट मद

मांग संख्या 26

2211-परिवार कल्याण

105 - क्षतिपूर्ति

(03) जन संख्या नियन्त्रण हेतु उपाय

[07] प्रथम प्रसव पर BPL महिलाओं को सहायता

28 - विविध व्यय

(आयोजना)

(राशि लाखों में)

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि
1	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) जयपुर प्रथम	0.50
2	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) अलवर	0.40
3	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) बारा	0.45
4	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) गंगानगर	0.25
5	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) राजसमंद	0.30
6	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) झुन्झुनू	0.60
7	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) बाड़मेर	0.33
8	अति०/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) जोधपुर	0.50
9	अति० मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) धौलपुर	0.20
10	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) करौली	1.09
11	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०) नागौर	0.30
	योग	4.92


(अक्षरे रू० चार लाख बानवै हजार मात्र)

६५

मुख्य लेखाधिकारी (प०क०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि :

- परियोजना निदेशक, M.M.J.R.K मुख्यालय जयपुर को उनकी अनौ० टिप० संख्या एफ.27(37)/एनआरएचएम/देशी घी/स्वीकृति/09 दिनांक 29.03.10 के क्रम में।
- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, राजस्थान।


मुख्य लेखाधिकारी (प०क०)

